

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग


क्रमांक:-प. 8(1)कार्मिक/क-2/99

जयपुर, दिनांक: 26-02-2010

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र लाल कुमावत, (सेवानिवृत्त आई.पी.एस) को कार्यभार सम्भालने की तिथि से अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पद पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(खेमराज)

प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्री महेन्द्र लाल कुमावत, (सेवानिवृत्त आई.पी.एस.) सी-1/5, पंडारा पार्क, नई दिल्ली-110003
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रकाशनार्थ, कृपया संबंधित प्रकाशन की तीन प्रतियां इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।
9. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर।
11. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान, उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
13. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
15. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, लोधी रोड, नई दिल्ली।


शासन उप सचिव

7A/2010